संख्याः– /XVIII(II)/2020–01(26)/2019

प्रेषक,

**सुशील कुमार,**
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**जिलाधिकारी,**
हरिद्वार

**राजस्व अनुभाग–2**

देहरादूनः दिनांकः 14 ~~सितम्बर, 2020~~ अक्टूबर 2020

**विषयः–नर्सिंग होम की स्थापना हेतु ग्राम दाबकी खुर्द में चक संख्या–201 खसरा नम्बर–84 में कुल रकबा 0.1093 है0 यानि कि 1093 वर्गमीटर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–621/जि0भू0व्य0सहा0/2020, दिनांक 08–06–2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री अमित राय पुत्र श्री हरेन्द्र राय, निवासी, मयूर विहार शास्त्रीनगर मेरठ, हाल निवासी आर्शीवाद नर्सिंग होम शेखपुरी, हरिद्वार को ग्राम दाबकी खुर्द में चक संख्या–201 खसरा नम्बर–84 में कुल रकबा 0.1093 है0 यानि कि 1093 वर्गमीटर भूमि नर्सिंग होम की स्थापना हेतु क्रय की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अमित राय पुत्र श्री हरेन्द्र राय, निवासी, मयूर विहार शास्त्रीनगर मेरठ, हाल निवासी आर्शीवाद नर्सिंग होम शुखपुरी, हरद्वार को ग्राम दाबकी खुर्द में चक संख्या–201 खसरा नम्बर–84 में कुल रकबा 0.1093 है0 यानि कि 1093 वर्गमीटर भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संस्तुति के क्रम में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(i)) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (नर्सिंग होम की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

....2

3— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6— इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग नर्सिंग होम की स्थापना के लिए ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्व विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7— जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

8— किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10— इकाई द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11— संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले नर्सिंग होम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12— चिकित्सा प्रयोजन (नर्सिंग होम) का निर्माण किये जाने सम्बन्धी आई0पी0एच0एस0 मानकों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

13— इकाई अपनी प्रस्तावित योजना में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप कार्य करने के सम्बन्ध में आख्या सम्मिलित करेगी, साथ ही उक्त चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधायें उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2013 के अनुरूप होगी। इस आशय का शपथ पत्र सम्बन्धित संस्था से प्राप्त किया जाना होगा।

14— अन्य किसी प्रकार की विधिक अनियमितता के लिए संस्था पूर्णत स्वयं उत्तरदायी होगी।

15— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित समिति का होगा।

16— सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

....3

17– सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19– सम्बन्धित इकाई द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगें।

20– इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया, तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 423 /XVIII(II) /2020,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– श्री हरेन्द्र राय, निवासी, मयूर विहार शास्त्रीनगर मेरठ, हाल निवासी आर्शीवाद नर्सिंग होम शेखपुरी, हरिद्वार
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।